[21/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2320]

परिशिष्ट ''अ''
तारांकित प्रश्न क्रमांक- 2320
माननीय विधायक श्री फूलसिंह बरैया।

(प्रश्नांश ''क'')

प्रश्नांश में उल्लेखित रा.सु.का. आदेश दिनांक 21.07.2020 की प्रति संलग्न है। रा.सु.का. आदेश दिनांक 01.10.2017 की प्रति संकलित की जा रही है।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

...अधिकारी
...प्रदेश शासन,
...''एक्स'' विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट ''ब''
तारांकित प्रश्न क्रमांक– 2320
माननीय विधायक श्री फूलसिंह बरैया।

(प्रश्नांश ''ख'')

अनावेदक गजराजसिंह उर्फ सोनू गंगवाल पिता भँवरसिंह गंगवाल निवासी संतरविदास नगर थाना नानाखेडा के विरूद्ध दिनांक 01.10.2017 के पूर्व तक हत्या का प्रयास, लूट, हफ्ता वसूली, आर्म्स एक्ट, झगडे, मारपीट के कुल 21 प्रकरण पंजीबद्ध है। इस कारण अनावेदक के विरूद्ध दिनांक 01.10.2017 को रा0सु0का0 की कार्यवाही की गई है। उसके बाद वर्ष 2019 एवं 2020 में अनावेदक के द्वारा पुनः आर्म्स एक्ट एवं झगडे, मारपीट की घटना किये जाने पर 03 अपराध पंजीबद्ध किये गये है उक्तानुसार अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये वर्ष 2020 में पुनः रा0सु0का0 की कार्यवाही की गई।

गजराजसिंह उर्फ सोनू गंगवाल के विरूद्ध मिथ्या एवं द्वेषपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। अनावेदक की बढती हुई अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु रा0सु0का0 की विधिवत कार्यवाही की गयी है। अनावेदक को एक ही अपराध के लिये दो बार दण्डित नहीं किया गया है, अनावेदक को विधि अनुरूप निरोधित किया गया है। अनावेदक के आपराधिक रिकार्ड के संदर्भ में उस पर कार्यवाही की गई हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 17 का उल्लघंन नहीं किया गया है।

अनावेदक के विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने की मंशा एवं क्षति पहुचाने के लिये कार्यवाही नहीं की गई है, अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(त),3(1)(थ) के प्रावधान लागू नहीं होते है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(प) एवं 3(2)(पप) प्रावधानित नहीं है।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
''एक्स'' विभाग,
...लय, भोपाल

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला उज्जैन (म०प्र०)

क्रमांक/कले०रीडर-1/एनएसए/2020/295

उज्जैन, दिनांक-21-07-2020

आदेश

चूँकि मैं, आशीष सिंह , जिला दंडाधिकारी, जिला उज्जैन को यह समाधान हो गया है कि अनावेदक **सोनू गंगवाल उर्फ गजराज पिता भंवरसिहं गंगवाल उम्र 25 साल नि. 5/51 संत रविदास नगर नानाखेड़ा उज्जैन** को लोक व्यवस्था बनाये रखने के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीती में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओ के आधार पर निरुद्ध करना आवश्यक है :-

१- अनावेदक कुख्यात आदतन अपराधी है।

२- अनावेदक मारपीट करने, अश्लील गालिया देने, हत्या के प्रयास करने, अवैध रूपयों की मांग करने का आदी है।

३- अनावेदक के विरूद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाने के बाद भी अनावेदक द्वारा आपराधिक कृत्य करने में कोई कमी नही आयी है।

४- अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों पर सामान्य धाराओ में अंकुश नही लग पा रहा है।

५- अनावेदक के विरूद्ध विभिन्न थानो एवं न्यायालयों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हुए हैं।

६- अनावेदक के कृत्य से समाज में आतंक का माहौल पैदा हो रहा है।

७- अनावेदक के डर से आम आदमी गवाही देने से डरते है।

८- अनावेदक की आपराधिक गतिविधियां प्रतिदिन बड़ती जा रही है।

९- अनावेदक के उक्त कृत्यों से लोकशांति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3) तथा म०प्र० शासन, गृह विभाग (सी-अनुभाग), भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ-31-05-1998-दो-सी-1, भोपाल दिनांक 01-07-2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, आशीष सिंह जिला दंडाधिकारी, जिला उज्जैन एतद द्वारा आदेश देता हूँ कि अनावेदक **सोनू गंगवाल उर्फ गजराज पिता भंवरसिहं गंगवाल उम्र 25 साल नि. 5/51 संत रविदास नगर नानाखेड़ा उज्जैन** को निरुद्ध किया जावे तथा केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध होने के दिनांक से आगामी तीन माह के लिए रखा जावे।

(आशीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दंडाधिकारी
उज्जैन (म.प्र.)
जिला उज्जैन

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह-सी "एक्स" विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner